13.01.2017

वादी सहित श्री चौरसिया अधि० उप०। प्रतिवादी द्वारा श्री ए.के.भार्गव अधि० उप०। प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी प्रक्रम पर वादी सादिक मोहम्मद एवं प्रतिवादी श्रीमती इरम शेख की ओर से एक लिखित, हस्ताक्षरित एवं फोटो चित्र युक्त आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सीपीसी इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादी का न्यायालय के वाहर राजीनामा हो गया है कि वादी एवं प्रतिवादी द्वारा आपसी सहमति से पंचो के मध्य मुसिलम विधि अनुसार तलाक करा लेना एवं सामान एवं मैहर की राशि प्राप्त न करने, भविष्य में प्रतिवादी वादी से किसी भी प्रकार की भरण पोषण राशि प्राप्त करने एवं किसी तरह की कोई काननी कार्यवाही न करने की अधिकारी होगी। इस कारण दावा को वादी वापिस कर निरस्त कराना चाहता है। इस दावे के द्वारा आगे कोई सहायता नहीं चाहता है। इसलिये प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही न चाहते हुए प्रकरण इसी प्रक्रम पर समाप्त किये जाने का अनुरोध किया। वादी की पहचान श्री आलोक चौरसिया अधि० एवं प्रतिवादी की पहचान श्री ए.के.भार्गव अधिवक्ता द्वारा की गई।

प्रकरण के अवलोकन उपरांत उक्त आवेदन अनुसार वादी की ओर से प्रस्तुत वाद उक्त आवेदन के परिपेक्ष में निरस्त किया जाता है।

प्रकरण की व्यय तालिका तैयार की जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

> साजिद मोहम्मद द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0